

कार्यालय : शबनम कदीर मंसूरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ म.प्र.

क्रमांक : ०३ / 2025

राजगढ़, दिनांक : २४-०१-२०२५

// कार्यालयीन आदेश //

माह फरवरी-मार्च 2025 हेतु जिला मुख्यालय राजगढ़ एवं तहसीलों में न्यायालय भवन में समय दोपहर 03:00 से 05:00 बजे के मध्य निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अपने समस्त स्टाफ के साथ उपस्थित होकर रिमांड ड्यूटी सम्पादित करेंगे :-

जिला मुख्यालय राजगढ़

	नाम	पद	रिमांड ड्यूटी का दिनांक
1.	श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी- 9, माह मार्च- 9, 10
2.	श्री वीर सिंह धाकड़	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी- 15, 16 माह मार्च- 14, 15, 16
3.	श्री पूर्णाक चौबे	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी- 23, 26 माह मार्च- 1, 2, 23
4.	सुश्री स्वाति भार्गव	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी- 1, 2, 03 माह मार्च- 19, 30, 31

तहसील ब्यावरा

1.	श्रीमती रानो बघेल	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी- 9, 16 माह मार्च- 9, 10
2.	श्री शुभांशु ताम्रकार	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी- 23, 26 माह मार्च- 14, 15, 16
3.	श्री सुधि रंजन बागरी	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी- 3, 15 माह मार्च- 1, 2, 19
4.	सुश्री भावना कछावा	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी- 1, 2 माह मार्च- 23, 30, 31

तहसील नरसिंहगढ़

1.	श्रीमती विमलेश मुडैया	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी- 9, 23, 26 माह मार्च- 23, 30, 31
2.	सुश्री स्वाति गोयल	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी- 1, 2, 3 माह मार्च- 1, 2, 19
3.	सुश्री अदिति मंडलोई	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी- 15, 16 माह मार्च- 9, 10, 14, 15, 16

श्रीमती शबनम कदीर मंसूरी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

तहसील सारंगपुर

1.	श्री सजंय जैन	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी— 1, 2, 3, 9 माह मार्च— 9, 10, 14, 15, 16
2.	सुश्री अश्विनि गहलोत	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी— 15, 16, 23, 26 माह मार्च— 1, 2, 19, 23, 30, 31

तहसील जीरापुर

1.	श्री विनय कुमार तिवारी	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी— 9, 15, 16, माह मार्च— 9, 16, 14, 15, 23
2.	श्री भूपेन्द्र कुशवाह	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी— 1, 2, 3, 23, 26 माह मार्च— 1, 2, 10, 19, 30, 31

तहसील खिलचीपुर

1.	श्री सचिन साहू	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी— 1, 2, 3, 9 माह मार्च— 1, 2, 14, 15, 16
2.	श्री विवेक शर्मा	जे.एम.एफ.सी.	माह फरवरी— 15, 16, 23, 26 माह मार्च— 9, 10, 19, 23, 30, 31

नोट—

- 1 मजिस्ट्रेटगण द्वारा अवकाश आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन में इस बात का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे कि चाही गई अवकाश अवधि के दौरान उनकी रिमाण्ड ड्यूटी है अथवा नहीं।
- 2 पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण होने पर पदभार मुक्त होने की दशा में अगर पीठासीन अधिकारी के स्थान पर अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया जाता है तो ऐसे पदभार ग्रहण करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा, पदभार मुक्त मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित की जायेगी। पदभार मुक्त मजिस्ट्रेट के स्थान पर अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किये जाने की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की जायेगी।
- 3 सभी मजिस्ट्रेटगण रिमाण्ड ड्यूटी आपस में सामंजस्य कर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व लिखित सूचना देकर समायोजित कर सकेंगे।
- 4 आकस्मिक रूप से घोषित होने वाले अवकाश में उन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पन्न की जावेगी जिनको रिमाण्ड ड्यूटी आकस्मिक घोषित अवकाश के ठीक पूर्व अवकाश में थी मजिस्ट्रेट यदि चाहें तो इस संबंध में आपस में सामंजस्य कर रिमाण्ड ड्यूटी कर सकेंगे।

(शबनम कदीर मंसूरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक ...13.../2025
प्रतिलिपि:—

राजगढ़, दिनांक 28.01.2025

01. कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/जीरापुर/खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
03. पुलिस अधीक्षक, जिला— राजगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजगढ़, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रिमाण्ड ड्यूटी में अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अभियोजन अधिकारी को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
05. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/जीरापुर/खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(शबनम कदीर मंसूरी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ म.प्र.